न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)सदर,फैजाबाद।
मूलवाद संख्या-368/2019

CNR No-UPFZ06-001427-2019

सन्तदास --- -------------------------बनाम-------------------------सियाराम।

दिनांक-**04.09.2021**

निस्तारण प्रार्थना पत्र **6 ग 2**

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली सुनवाई/आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का. सं०-6 ग 2 के निस्तारण हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के बावत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वादी कथानक इस प्रकार है कि मकान संख्या-25/5/1 मंदिर बंजरंग बाग ग्राम माझा मीरापुर बाबा मोहल्ला वासुदेवघाट शहर अयोध्या, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, फैजाबाद का मंहन्त व सरवराहकार है एवं बतौर महंत उक्त मकान पर काबिज व दखील चला आ रहा है। स्वर्गीय गोपालदास चेला नरायण दास ने भूमि संख्या-95 में से 9 विस्वा रकबा का बैनामा लिया था एवं इसी भूमि पर हनुमान जी की प्रांण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ स्थापित कर मंदिर व कमरों का निर्माण कराया। वादी एवं प्रतिवादी दोनों स्वर्गीय गोपालदास के जीवन काल में साथ-साथ रहते थे एवं पूजा पाठ करते थे। स्वर्गीय गोपालदास द्वारा अपने जीवन काल में अयोध्या एवं बनारस में हनुमान जी का मंदिर स्थापित करवाया था। उनकी मृत्यु के उपरान्त साधू संतो द्वारा यह तय किया गया कि बनारस स्थित मंदिर पर सियारामदास पूजा पाठ करेंगे एवं अयोध्या स्थित हनुमान जी के मन्दिर पर पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्य सन्तदास करेंगे। इसी के अनुसार उभय पक्ष अपनी-अपनी परम्पराओं का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। अयोध्या स्थित मंदिर के किसी भी कागजात में प्रतिवादी सियाराम दास का नाम नहीं है और न ही प्रश्नगत मंदिर की भूमि व कमरों के अंश पर उसका कब्जा व दखल है। प्रतिवादी बनारस स्थित मंदिर पर रहते है एवं अयोध्या के मंदिर पर उनका

कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। खाता संख्या-34 भूमि संख्या-95 तथा भूमि संख्या-96 से संबंधित राजस्व अभिलेखों में स्वर्गीय गोपालदास चेला नरायण दास का नाम अंकित है। अब उसी भूमि पर वादी का कब्जा व दखल अनवरत चला आ रहा है। प्रतिवादी दूषित मंशा से एवं कुछ लोगों के बहकावे में आकर वादी को मंदिर से हटवाने का प्रयास करने लगा है। जब न्यायालय के बाहर सुलह समझौता की वार्ता विफल रही तो वादी को उक्त वाद संस्थित करना पड़ा। अतः जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षी को मना कर दिया जाये कि विवादित भूमि, मंदिर जो मकान जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है, पर जबरन कब्जा न करें न ही किसी भी प्रकार से वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करें एवं उसको न बेंचे।

प्रतिवादी पत्रावली पर उपस्थित आये एवं अपना जबाव दावा प्रस्तुत किये परन्तु प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 6ग2 के विरूद्ध उनके द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी को आपत्ति हेतु अनेक अवसर भी प्रदान किये गये परन्तु प्रतिवादी न तो पत्रावली पर विगत कई पेशियों से उपस्थित आ रहा है और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रा. पत्र 6ग2 के विरूद्ध प्रतिवादी की आपत्ति/सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है।

<u>दाखिल अभिलेखीय साक्ष्यः-</u>

वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में सूची 23ग1 के माध्यम से नकल खतौनी खाता संख्या-34 एवं 10अ, 23ग1/2 ता 23ग1 ता 3 की सत्यापित प्रति दाखिल किया गया है। कर निर्धारण सूची की सत्यापित प्रति 23ग1/8 दाखिल किया है। सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित-09.11.2020 की प्रति का. सं०-23ग1/10, महज्जरनामा की सत्यप्रतिलिपि का. सं०-23ग1/11 ता 18 दाखिल किया गया है। विद्युत रसीद का. सं०-23ग1/28 दाखिल किया गया है। सूची 10ग1 के माध्यम से भी वादी द्वारा कुछ अभिलेख प्रस्तुत किये गये।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादी को अपने पक्ष में निम्नलिखित तीन तत्वों को सिद्ध करना होगा।

1- प्रथम दृष्टया मामला।

2- सुविधा का संतुलन।

3- अपूर्णनीय क्षति।

उपरोक्त तत्वों का उभय पक्ष द्वारा अभिकथित अभिकथनों के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के अभिकथनों तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से यह तथ्य स्वीकृत है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के मूल स्वामी स्व० गोपालदास चेला नारायण दास थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उभय पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत मन्दिर का वह सरबराहकार है एवं उसी की हैसियत से प्रश्नगत स्पत्ति पर काबिज दाखील होकर पूजा पाठ कर रहा है। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का. सं०-6 ग 2 के विरूद्ध कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु उसके द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी यह कथन किया है कि उपरोक्त मन्दिर पर उसका नाम बतौर चेला(वारिस) दिनांक-29.01.2018 को नामान्तरण हो चुका है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में भी यह उल्लेख किया गया है कि वादी के पक्ष में तथाकथित महज्जरनामा कूटरचित दस्तावेज है। इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न है कि क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है अथवा नहीं?

यह सिद्ध विधि व्यवस्था है कि प्रथम दृष्टया मामला का मतलब प्रथम दृष्टया टाइटल नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा जो भी अभिलेख प्रस्तुत किये गये है उसके अनुसार प्रश्नगत भवन में वह प्रथम दृष्टया अध्यासित होता परिलक्षित होता है। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रश्नत भूमि के संबंध में उसका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया है परन्तु उक्त के संबंध में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में यह भी कथन किया गया है कि आदेश दिनांकित-29.01.2018 के माध्यम से उसका नाम बतौर वारिस दर्ज हो चुका है। परन्तु उक्त के संबंध में पत्रावली पर दाखिल खतौनी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश का क्रियान्वयन व प्रभाव आदेश दिनांकित-30.10.2019 के माध्यम से स्थगित किया जा चुका है। उक्त आदेश के उपरान्त आदेश दिनांकित-08.09.2020 के माध्यम से उपरोक्त आदेश को निरस्त करते हुए पत्रावली पुनः सक्षम न्यायालय को इस आदेश

के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि वह प्रकरण में साक्ष्य एवं सुनवाई करते हुए समुचित आदेश पारित करें। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है।

इस स्तर पर उभय पक्ष द्वारा अपना-अपना स्वामित्व होना कहा जा रहा है परन्तु किसी भी पक्षकार द्वारा अपने स्वामित्व के संबंध में कोई भी प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है। राजस्व न्यायालय में स्वामित्व के संबंध में वाद अभी लंबित है। यह सुस्थापित विधि व्यवस्था है कि जहाँ तक पक्षकार का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है तो अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष मात्र कब्जेदारी के आधार पर भी दिया जा सकता है। यद्यपि राजस्व न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जिससे प्रतिवादी के नामान्तरण को स्थगित किया गया था, निरस्त कर दिया गया है परन्तु अन्य प्रपत्रों यथा राशन कार्ड, म्यूनीसिपल बोर्ड अयोध्या, गैस कनेक्शन की प्रति, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड के अनुसार वादी उपरोक्त भवन में अध्यासित है। इस स्तर पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रतिपादित विधि सिद्धान्त श्रीमती प्रेमलता बनाम जगदीश **2011(29)**एल.सी.डी **602** उल्लेखनीय है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि --जहाँ वादी विवादित सम्पत्ति पर कब्जा साबित कर देता है वहाँ केवल उसी आधार पर वास्तविक स्वामी के विरूद्ध निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी होगा।

इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सुब्रहामणिस्वामी टेम्पल रत्नागिरी बनाम वी**.** खन्ना गाऊन्डर **(**मृतक**)** द्वारा विधिक प्रतिनिधि **2009(27)**एल**.**सी**.**डी **517** उल्लेखनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपारित किया गया है कि- **"**जहाँ कोई व्यक्ति बिना स्वत्व के विवादित सम्पत्ति पर काबिज हो**,** तो उसे अपना कब्जा सुरक्षित बनाये जान का अधिकार विवादित सम्पत्ति के स्वामी के विरूद्ध भी हैं।"

प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा दाखिल कर निर्धारण सूची, बिजली बिल रसीद से यह स्पष्ट होता है कि वह प्रश्नगत सम्पत्ति पर काबिज है। उक्त सम्पत्ति का विधिक रूप से स्वामी कौन है इस तथ्य का निस्तारण पत्रावली पर उभय पक्षों का साक्ष्य संकलित होने के पश्चात ही वाद की उचित अवस्था में किया जा सकता है।

इस प्रकार विवादित सम्पत्ति पर अपने अधिकारों के अस्तित्व के संबंध में विचारण का स्वच्छ प्रश्न वादी द्वारा उठाया गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि व्यवस्था रहमतउल्ला एवं अन्य बनाम जिला जज सिद्धार्थनगर, **1999** आर.डी.पृष्ट-**1** में दिये गये अभिमत के अनुसार विवादित सम्पत्ति के संबंध में अपने अधिकारों के अस्तित्व का स्वच्छ प्रश्न उठाये जाने के कारण वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं यदि यह मान भी लिया जाये की वह प्रश्नगत भवन का विधिक स्वामी नहीं है तो भी वादी मात्र कब्जेदारी के आधार पर भी अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

2,3- सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षतिः-

यहाँ तक प्रश्न अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का संतुलन का है निश्चित रूप से विवादित सम्पत्ति पर वादी का कब्जा साबित है। अतः सुविधा का संतुलन इस तरफ ही है कि विवादित सम्पत्ति को संरक्षित किया जाये। यदि विवादित सम्पत्ति को संरक्षित किया जाता है तो किसी भी पक्ष को कोई अपूर्णनीय क्षति कारित नहीं होगी।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचना व पत्रावली पर दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा० दी० स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि वह दौरान मुकदमा विवादित सम्पत्ति जिसे वाद पत्र के साथ नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है, पर वादी के कब्जा व दखल में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें एवं उसे पूजा करने से न रोके। इस स्तर पर उभय पक्ष को भी निषेधित किया जाता है कि दौरान विचारण मुकदमा वादग्रस्त सम्पत्ति या उसके किसी भी अंश को किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में अंतरित न करें। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य वादी दिनांक-05.10.2021 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०)सदर,फैजाबाद।

J.O.Code-2441